संख्या- 242 /2025/1610 /चार-2025-1914807

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 10 जून, 2025**

विषय:- विभिन्न तिथियों (दिनांक 21.12.2024, 20.01.2025, 06.03.2025, 02-03 जनवरी, 2025, तथा 11.02.2025) में मा0 मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर भ्रमण के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों के मानदेय पर हुए व्यय की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-403/सं0नि0-15(12)/2019-20-318018, दिनांक 15 मई, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विभिन्न तिथियों (दिनांक 21.12.2024, 20.01.2025, 06.03.2025, 02-03 जनवरी, 2025, तथा 11.02.2025) में मा0 मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर भ्रमण के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम पर निम्नानुसार हुए व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	कार्यक्रम का विवरण	प्रस्तावक	कलाकार का नाम	कलाकार का मानदेय आदि पर व्यय
1	मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 21.12.2024 को जनपद गोरखपुर में स्वयं सहायता समूह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के सम्मान कार्यक्रम के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति	प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, गोरखपुर का पत्र दिनांक 09.03.2025	श्री गोकुलानन्द ग्राम डोहरिया बाजार, जिला गोरखपुर	35,000.00
			श्री अभिनीत राजन, LIG-35, जनप्रिय कालोनी, गोरखपुर	35,000.00
2	मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 20.01.2025 को जनपद गोरखपुर में शहीद अश्फाक उल्लाह खां प्राणि उद्यान मे नवनिर्मित हाथी बाड़े का उद्घाटन एवं रेस्क्यू भेड़िया एवं बाघ का नामकरण के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति।	प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, गोरखपुर का पत्र दिनांक 09.03.2025	श्री मन्तोष कुमार प्रजापति, ग्रा0-हाटा खुर्द (खिरिया) पो0- हाटा बुजुर्ग उरूवा, जिला गोरखपुर	35,000.00
3	मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 06.03.2025 को जनपद गोरखपुर में योगिराज बाबा	प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र,	श्री विजय वीर विक्रम बहादुर एस0 वाई0 6/11/148, हैरगंज,	43,200.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	गम्भीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र में युवा उद्यमी विकास अभियान में 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ के ऋण वितरण एवं 2100 प्रशिक्षणार्थियों को टूलकिट वितरण कार्यक्रम के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति।	गोरखपुर का पत्र दिनांक 09.03.2025	फैजाबाद, अयोध्या	
			श्री सल्टूराम ग्रा0 व पो0- पाण्डेयपुर राधे, जिला- गाजीपुर	45,500.00
4	दिनांक 02 एवं 03 जनवरी, 2025 को जनपद गोरखपुर में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण / शिलान्यास मा0 मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों से कराये जाने के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति	प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, गोरखपुर का पत्र दिनांक 09.03.2025	श्री रामराज मौर्या, ग्रा0 व पो0- लोहरपुरवां, कोइरीपुरवां, कैम्पियरगंज, गोरखपुर	35,000.00
			श्री विन्ध्याचल आजाद, ग्रा0- शिवपुर, पो0- ढखवा बाजार, गोरखपुर।	35,000.00
5	जनपद गोरखपुर में दिनांक 11.02.2025 को मा0 मुख्यमंत्री जी एवं श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगद्गुरू शंकराचार्य श्री विधुशेखर भारती के आगमन पर स्वागत शोभा यात्रा	प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, गोरखपुर	डा0 रोहित कुमार मिश्र, 17 बी, विनायकपुरम, गोरखनाथ, गोरखपुर	35,000.00
			श्री गजेन्द्र सिंह, बिछिया, गोरखपुर	45,000.00
			श्री अजीत कुमार उपाध्याय, 97-ए, श्री कृष्ण भवन मुंशा बाग, जटेपुर नार्थ, गोरखपुर	35,000.00
			श्री हिमांशु धर द्विवेदी, द्विवेदी सदन, 244 सी, बिलन्दपुर, गोरखपुर	35,000.00
			श्री विन्ध्याचल आजाद, ग्रा0- शिवपुर, पो0- ढखवा बाजार, गोरखपुर।	35,000.00
			श्री बृज बिहारी दुबे, फलवरिया, पो0 तुर्कवालियां (पीपीगंज), गोरखपुर	35,000.00
			योग (रू0 चार लाख तिरासी हजार सात सौ मात्र)	4,83,700.00

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार विभिन्न तिथियों (दिनांक 21.12.2024, 20.01.2025, 06.03.2025, 02-03 जनवरी, 2025, तथा 11.02.2025) में मा0 मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर भ्रमण के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों के मानदेय आदि पर हुए व्यय **रू0 4,83,700.00 (रू0 चार लाख तिरासी हजार सात सौ मात्र)** की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

<u>शर्तें / प्रतिबन्ध:-</u>

(1) प्राप्त बीजकों का परीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारी एवं संस्कृति निदेशालय के सक्षम अधिकारी द्वारा बीजकों का सत्यापन किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(6) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(9) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान/ कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in